राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत, "महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण आणि चाचणी व अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाची (NABL) मान्यता राखणे" या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

# महाराष्ट्र शासन

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १६२४/प्र.क्र. ३८/१७-अे

> मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक :- १४/०२/२०२४.

#### वाचा :-

(१) कृषि विभागाचे पत्र क्र. RKV-११२३/C.R. २३२/१४-अे, दि. २५/०१/२०२४ व त्यासोबतचे राज्यस्तरीय मंजूरी समितीचे (SLSC) दि. ०८/०१/२०२४ चे इतिवृत्त.

#### प्रस्तावना:

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दिनांक ०८ जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत, "महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण आणि चाचणी व अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाची (NABL) मान्यता राखणे" हा प्रकल्प राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

### शासन निर्णय :-

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय मंजूरी समितीने "महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण आणि चाचणी व अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाची (NABL) मान्यता राखणे" हा प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

केंद्र शासन/महाराष्ट्र शासनाच्या चालू योजनांचे घटकनिहाय लागू खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

(रु. लाखात)

| अ.क्र. | घटक               | एकूण  | केंद्र शासन /महाराष्ट्र |            | खर्च सामायिकरण नमुना |     |           |
|--------|-------------------|-------|-------------------------|------------|----------------------|-----|-----------|
|        |                   | किंमत | शासनास लागू चालू        |            |                      |     |           |
|        |                   |       | योजना                   |            |                      |     |           |
|        |                   |       | नाव                     | अनुदानासा  | रा.कृ.वि.            | लाभ | अंमलबजाव  |
|        |                   |       |                         | ठी खर्चाचे | यो.                  | धार | णी करणारी |
|        |                   |       |                         | प्रमाण     |                      | क   | यंत्रणा   |
| 9      | प्रयोगशाळेचे      | 42.40 | शासकीय संस्था           |            | 42.40                | 0   |           |
|        | नूतनीकरण आणि      |       | १००% अनुदान             |            |                      |     |           |
|        | विद्युतीकरण       |       |                         |            |                      |     |           |
| २      | जुनी यंत्रसामग्री | 49.40 | शासकीय संस्था           |            | 49.40                | 0   |           |
|        | आणि उपकरणांची     |       | १००% अनुदान             |            |                      |     |           |
|        | दुरुस्ती, वार्षिक |       |                         |            |                      |     |           |
|        | देखभाल खर्च, इ.   |       |                         |            |                      |     |           |

| 3  | नवीन यंत्रसामग्री     | 382.33  | शासक          | ीय संस्था | 387.33 | 0 |              |
|----|-----------------------|---------|---------------|-----------|--------|---|--------------|
| ,  | आणि उपकरणे,           | • • • • | १००% अनुदान   |           |        |   | आयुक्त       |
|    | CRMs,                 |         |               | 3         |        |   | (कृषि), कृषि |
|    | प्रयोगशाळेतील         |         |               |           |        |   | आयुक्तालय    |
|    | रसायने खरेदी          |         |               |           |        |   | , पुणे.      |
| 8  | साहित्य आणि           | 90.00   | शासक          | ीय संस्था | 90.00  | 0 |              |
|    | काचेच्या वस्तू खरेदी  |         | १००% अनुदान   |           |        |   |              |
| ч  | कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा | 3.80    | शासकीय संस्था |           | 3.80   | 0 |              |
|    | (अग्निशामक यंत्र,     |         | १००% अनुदान   |           |        |   |              |
|    | ऍप्रॉन, गॉगल इ.)      |         |               |           |        |   |              |
| Ę  | चाचणी व अंशांकन       | ६.५०    | शासकीय संस्था |           | ६.५०   | 0 |              |
|    | प्रयोगशाळांसाठी       |         | १००% अनुदान   |           |        |   |              |
|    | राष्ट्रीय मान्यता     |         |               |           |        |   |              |
|    | मंडळाची (NABL)        |         |               |           |        |   |              |
|    | मान्यता.              |         |               |           |        |   |              |
| (9 | रासायनिक              | ۶.२o    |               |           | ६.२०   |   |              |
|    | नमुन्यांची विल्हेवाट  |         |               |           |        |   |              |
|    | लावणे                 |         |               |           |        |   |              |
|    | एकूण                  | ४८०.२०  | -             | -         | ४८०.२० | - | -            |
|    | प्रशासकीय खर्च @      | 9.80    | -             | -         | ९.६०   | - | -            |
|    | २%                    |         |               |           |        |   |              |
|    | एकूण                  | ४८९.८०  | -             | -         | ४८९.८० | - | -            |
|    | टक्केवारी हिस्सा      | 900%    |               |           | 900%   |   |              |

- २. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच केंद्र शासनाच्या निकषानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
- 8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत "महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण आणि चाचणी व अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाची (NABL) मान्यता राखणे" या प्रकल्प उभारणीकरीता नियमित तपासणी करीता तसेच, विस्तृत तपासणी अहवालानुसार अनुदान वितरीत करण्याकरीता वार्षिक गुणवत्ता आणि काम प्रगती प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनास व राज्य शासनास सादर होईल याची कृषि संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.
- ५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४९४५७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रशांत र. पिंपळे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

## प्रत,

- 9) मा.मंत्री (कृषी)/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- २) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई
- ४) आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ५) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर
- ६) सह सचिव (नि. व गु. नि.), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ७) कृषि संचालक (नि. व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- ८) अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-अे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ९) उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- ९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे
- १०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे
- ११) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई
- १२) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई
- १३) कक्ष अधिकारी (२-अे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १४) निवडनस्ती.